



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- apccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-25/2018-135 दिनांक : 31/10/18

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग /
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, राँची /
उप वन संरक्षक, गज परियोजना जमशेदपुर /
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर /
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी प्रमण्डल, मेदिनीनगर

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न आश्रयणियों में किए जाने वाले कार्यों के लिए कुल **रु0 1034.994 लाख (दस करोड़ चौतीस लाख निनान्वे हजार चार सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-39/2018-31/स्वी0 व0प0 दिनांक 23.10.2018 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट- 39/2018-83/आ0 व0प0 दिनांक 29.10.2018 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-61 वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 1034.994 लाख (दस करोड़ चौतीस लाख निनान्वे हजार चार सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601101610103	682.297
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601101610323	352.697
कुल :-		1034.994

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी / उप वन संरक्षक / उप निदेशक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601101610103 तथा 19S240601101610323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
4. कार्य योजना में अंकित Public Procurement के सारे कार्य मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2218 दिनांक 01.09.2017 में निहित प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा।
5. कार्य योजना में अंकित अवयवों का दर राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुसूचित दर तक सीमित रखा जायेगा।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
7. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 4000 दिनांक 31.10.2011 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।
10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।
11. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।
12. किसी भी तरह का भुगतान सिर्फ बैंक खाता में ट्रान्सफर के माध्यम से ही किया जायेगा। नगद रूप से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान केवल आधार लिंक बैंक खाता में ट्रान्सफर अथवा A/c payee चेक के माध्यम से किया जायेगा।
14. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम सं0 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा। योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुसार की जायेगी।
15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों। अगर वित्तीय लक्ष्य से ज्यादा देनदारियाँ सृजित की जाती है, तो उन दावों के सृजन के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।
16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।
17. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि का स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।
18. इस योजना के अंतर्गत वन्यप्राणी प्रबंधन एवं संवर्द्धन के कार्यों का सम्पादन ईको डेवलपमेंट समितियों के सहयोग से किया जायेगा।
19. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची होंगे, जिनके द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह के 10वीं तारीख से पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची के माध्यम से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक/ क्षेत्र निदेशक, व्याघ्र परियोजना, पलामू/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार के नियमों का सतत् पालन किया जा रहा है।
20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-25/2018-1333

दिनांक- 31.10.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, डालटेनगंज/ मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-25/2018-1333

दिनांक- 31.10.2018

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर/ मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना" (अन्य व्यय) के अंतर्गत विभिन्न आश्रयियों में किये जाने वाले कार्यों से संबंधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं)

(मजदूरी दर : ₹0 237.38 प्रति दिन)

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण	वित्तीय लक्ष्य (₹0 लाख में)				स्थल विवरणी
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी	पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)					
		वनों में पर्यावास सुधार हेतु जीहू एवं सकरजा सुरक्षित वन में सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना (फिवरी-100 हे0 एवं गोसी-50 हे0) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलाक में	35.607	20.511	56.118	आश्रयणी क्षेत्र	
		हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी में Lantana Weeds Removal (50 Ha) में -30 मानव दिवस प्रति हे0	3.561	0.000	3.561		
		पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)					
		रजड़ेरवा नाला में 5 पक्का चेक डैम (Size 20' x 8' (1 No.), 30' x 8' (2 No.), 25' x 8' (2 No)) का निर्माण	12.600	15.400	28.000	आश्रयणी क्षेत्र	
		रजड़ेरवा नाला में 35 स्थानों पर लूज बोल्टर चेक डैम का निर्माण	1.750	1.750	3.500	आश्रयणी क्षेत्र	
		(1) कांडाकुदर नाला, नावाडीह (पुर्णबांध) में 30'x 8', (2) जमनी नाला, नावाडीह (पुर्णबांध) में 30'x 8', (3) चौंदा नाला, डुमरी में 30'x 8' (1), (4) धोबिया बांध नाला, डुमरी में 50'x 8' (1), (5) धोबियाबांध नाला/सियारी नाला, डुमरी में 45'x 8' (1), (6) जंगरीगढ़ा नाला, गुरुडीह में 30'x 8' (1), (7) बांसादह नाला, गुरुडीह में 50'x 8' (1), (8) पौडवागढ़ा बांसा नाला, गुरुडीह में 45'x 8' (1) सभी पक्का चेक डैम	25.000	29.000	54.000	आश्रयणी क्षेत्र	
		जंगली जानवरों को जल उपलब्ध कराने हेतु निर्मित जल संवयन संरचना रजड़ेरवा झील का जीर्णोद्धार	4.500	0.500	5.000	आश्रयणी क्षेत्र	
		जंगली जानवरों को जल उपलब्ध कराने हेतु निर्मित जल संवयन संरचना बाघमारा चेकडैम का जीर्णोद्धार	2.000	0.000	2.000	आश्रयणी क्षेत्र	
		जंगली जानवरों को जल उपलब्ध कराने हेतु निर्मित जल संवयन संरचना रजड़ेरवा इक्लोजर के चेकडैम का जीर्णोद्धार	0.320	0.480	0.800	आश्रयणी क्षेत्र	
		रजड़ेरवा इक्लोजर के समीप तालाब का गहरीकरण	0.400	0.600	1.000		
		बहिमर वन परिसर में पेय जल सुविधा हेतु डीप बोरिंग एवं पाईप लाईन, टंकी इत्यादि।	1.950	3.050	5.000		
		हजारीबाग वन्यप्राणी आश्रयणी का योग	87.688	71.291	158.979		

क्रि. सी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण	वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)			स्थल विवरणी
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी	पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)				
		कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी में Lantana Weeds Removal (50 Ha) में – 30 मानव दिवस प्रति हे०	3.561	0.000	3.561	
		फायर ब्लोअर की संचालन एवं मरम्मति पर व्यय	0.000	0.200	0.200	
		पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)				
		वन्यप्राणी पर्यावास केंद्र कोडरमा के चारो तरफ (03) स्थान पर पुलिसा निर्माण (6x4=2 No and 4x3=1 No.)	8.100	9.900	18.000	आश्रयणी क्षेत्र
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी	कोडरमा इन्फोजनर में पक्का चेक डैम का निर्माण (74'x6')	4.950	6.050	11.000	
		कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में जंगली जानवरों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु 11 पक्का जल संयवन (Water Holes) का निर्माण	7.425	9.075	16.500	
		कोडरमा वन्यप्राणी आश्रयणी का योग	24.036	25.225	49.261	
		पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)				
		वनो में पर्यावास सुधार हेतु तुलबुल वन में सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना-75 हे० अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में	17.804	10.255	28.059	आश्रयणी क्षेत्र
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी	वनो में पर्यावास सुधार हेतु वर्ष 2017-18 में 55 हे० अहरी वन में किये गये मू-संरक्षण कार्य के सुझा हेतु (दो प्रहरी के साथ)	1.733	0.000	1.733	
		फायर ब्लोअर की संचालन एवं मरम्मति पर व्यय	0.000	0.150	0.150	
		पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)				
		गौतमबुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी क्षेत्र में 04 चेकडैम क्रमशः (1) कौआ खोद नाला अहरी (50'x6') (2) घरेनिया नाला, मुर्तियाकला (50'x6') (3) गठही नाला, महाने टांड (50'x6') एवं हरीन कुदवा, आसनघुआ (50'x6') का निर्माण	13.500	16.500	30.000	
		गौतम बुद्धा वन्यप्राणी आश्रयणी	33.037	26.905	59.942	
वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्यप्राणी प्रमण्डल, हजारीबाग	लावालीग वन्यप्राणी आश्रयणी	पर्यावास सुधार Habitat Improvement (Enrichment of Food, Water & Shelter)				
		वनो में पर्यावास सुधार हेतु सिकनी वन में सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना-75 हे० अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में	17.804	10.255	28.059	आश्रयणी क्षेत्र
		वनो में पर्यावास सुधार हेतु बरहेद वन में सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना-75 हे० अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में	17.804	10.255	28.059	

नि सी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण	वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)			स्थल विवरणी
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
		NIC का सुसज्जीकरण	0.000	0.750	0.750	
		प्रक्षेत्र कार्यालय हेतु स्टेशनरी इत्यादि का क्रय	0.000	0.500	0.500	
		निरीक्षण पथ का मरम्मती कार्य(400 फीट PCC के साथ)	2.700	3.300	6.000	
		मुदा संरक्षण हेतु सिरीज में स्टोन मेशनरी कार्य	4.500	5.500	10.000	
		पार्क के बाहरी पुराने फोसिंग के बेस में स्टोन मेशनरी कार्य	1.530	2.970	4.500	
		सफारी पथ का मरम्मति कार्य	0.500	0.000	0.500	
		सफारी पथ के फोसिंग का मरम्मति कार्य	0.510	0.990	1.500	
		सफारी पथ के बगल में नाली अवस्थित का मरम्मति कार्य	0.170	0.330	0.500	
		CZA के निर्देशानुसार Feeding Platform के बगल में सटे अतिरिक्त Feeding Platform का निर्माण	0.748	1.510	2.258	
		चार नये वाटर टैंक का निर्माण पाईप लाईन बिछाने के साथ	0.595	1.155	1.750	
		CZA के निर्देशानुसार Stand off barrier का निर्माण-कुल 2400 फीट	7.200	8.800	16.000	
		केन्द्रीय विडियापर प्राधिकरण के निदेशानुसार 1538 R fi चाहरदिवारी का निर्माण	22.500	27.500	50.000	
		बिरसा मृग विहार कालामाटी का योग	55.120	54.135	109.255	
		05 फायर ब्रोअर का रख रखाव कार्य (2000 रु० प्रति फायर ब्रोअर)	0.034	0.066	0.100	
		कच्चा जलछिद्र (Water Hole) निर्माण संख्या 5	8.000	2.000	10.000	
		2 वेक डेम निर्माण कार्य	7.100	7.900	15.000	
		पालकोट वन्यप्राणी आश्रयणी, गुमला का योग	15.134	9.966	25.100	
		जानवरों के लिए चारा, सात्व लिक, दवा आदि की व्यवस्था	0.000	2.500	2.500	
		बैठने के लिए छायादार बेंच (small Gazebo) (@35000 रु० प्रति बेंच)- 10 अदद	2.100	1.400	3.500	
		विविध एवं कार्यालय व्यय	0.000	0.351	0.351	
		वनपथ की विशेष मरम्मती कार्य	0.374	0.726	1.100	
		एक Colony Aviary 100ft x 40ft का निर्माण VCBBC हेतु	12.000	8.000	20.000	
		विभिन्न वन भवनों के मरम्मति रंगाई, पोताई एवं अन्य कार्य	1.020	1.980	3.000	
		केन्द्रीय विडियापर प्राधिकरण के निदेशानुसार 1538 R fi चाहरदिवारी का निर्माण	22.500	27.500	50.000	
		3 सिल्ट डिटेक्शन डेम (25'x4') (@756728.30 रु०)	15.700	7.000	22.700	
		Exploration Trail (मोरम पथ) तथा बीच बीच में 5'x10' का PCC पानी बहाव की लिए लगभग 8 कि०मी०	4.000	1.000	5.000	
		मुदा मगर प्रजनन केन्द्र का योग	57.694	50.457	108.151	
		वन्यप्राणी प्रमण्डल सैवी का कुल योग	130.948	114.558	245.506	

नि. सी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण	वित्तीय लक्ष्य (₹0 लाख में)			स्थल विवरणी
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना जमशेदपुर	दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी,	वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण वनो में पर्यावास सुधार हेतु खोखरो सुरक्षित वन में सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना-50 हे० अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास झारखण्ड, राँची के कार्यालय आदेश संख्या 05 दिनांक 20.01.2018 के आलोक में	11.869	6.837	18.706	
		वन अग्नि को बुझाने के क्रम में कर्मचारियों एवं स्थानीय व्यक्तियों को गुड़, सतू एवं चूड़ा पर होने वाला व्यय	0.000	0.300	0.300	
		जी०पी०एस० सेट का क्रय आदि	0.000	3.000	3.000	
		दलमा वन्यप्राणी आश्रयणी का प्रबन्धन योजना का निर्माण	11.790	0.000	11.790	
		वन्यजीव संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण				
		जल संरक्षण संरचना का निर्माण -2 अदर	9.867	9.113	18.980	
		गज परियोजना जमशेदपुर का कुल योग	33.526	19.250	52.776	
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर		वन अग्नि को बुझाने के क्रम में कर्मचारियों एवं स्थानीय व्यक्तियों को गुड़, सतू, चूड़ा एवं दवा पर होने वाला व्यय।	0.000	2.000	2.000	
		स्थानीय व्यक्तियों को विभिन्न प्रक्षेत्रों में अवस्थित चेकनाका, वन विश्रामागार, टूरिस्ट परिसर आदि में प्रतिनियोजित करने पर व्यय (45 व्यक्ति छः माह के लिए एवं 30 व्यक्ति छः माह के लिए)।	27.773	0.000	27.773	
		भेटनरी केयर यूनिट का सुदृढीकरण एवं परिचालन पर व्यय।	0.600	1.900	2.500	
		वन्यप्राणियों के लिए समुचित चारा उपलब्ध कराने हेतु घास मैदान का निर्माण (प्रथम वर्ष) 100 हे०।	12.121	2.500	14.621	
		सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना का 250 हे० ग्रास एरिया में कार्यान्वयन।	69.650	23.108	92.758	
		बेतला में उपलब्ध कुल 5 हाथियों के रख-रखाव पर व्यय (दवा एवं भोजन सामग्री आदि)।	0.000	9.100	9.100	
		उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर का कुल योग	110.144	38.608	148.752	
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर		वन अग्नि को बुझाने के क्रम में कर्मचारियों एवं स्थानीय व्यक्तियों को गुड़, सतू, चूड़ा एवं दवा पर होने वाला व्यय।	0.000	2.000	2.000	
		स्थानीय व्यक्तियों को विभिन्न प्रक्षेत्रों में अवस्थित चेकनाका, वन विश्रामागार, टूरिस्ट परिसर आदि में प्रतिनियोजित करने पर व्यय (65 व्यक्ति छः माह के लिए एवं 40 व्यक्ति छः माह के लिए)।	35.180	0.000	35.180	
		वनो की अग्नि से सुरक्षा हेतु 411 कि०मी० वन पथ के दोनों ओर 15-15 फीट तक फायर ट्रसिंग का कार्य	29.127	0.000	29.127	
		वन्यप्राणियों के लिए समुचित चारा उपलब्ध कराने हेतु घास मैदान का निर्माण (प्रथम वर्ष) 100 हे०।	12.121	2.500	14.621	
		सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन योजना का 180 हे० ग्रास एरिया में कार्यान्वयन।	52.728	13.838	66.566	
		वन्य जीवों के लिए घास मैदान का विकास एवं रख-रखाव (500 हे०)	59.345	0.000	59.345	
		एक कच्चा चेक डेम का सुदृढीकरण तथा दो कच्चा डेम का निर्माण	13.274	1.425	14.699	
उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर का कुल योग			201.775	19.763	221.538	

निक्षेपी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	आश्रयणी का नाम	कार्य विवरण	वित्तीय लक्ष्य (रु० लाख में)			स्थल विवरणी
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल	
		वन्यप्राणी प्राणी प्रमण्डल हजारीबाग का कुल योग	205.904	160.518	366.422	
		वन्यप्राणी प्राणी प्रमण्डल राँची का कुल योग	130.948	114.558	245.506	
		गज परियोजना जमशेदपुर का कुल योग	33.526	19.250	52.776	
		उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, उत्तरी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग	110.144	38.608	148.752	
		उप निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर का योग	201.775	19.763	221.538	
		सकल योग	682.297	352.697	1034.994	

प्रधान मुख्य वन सहायक, निक्षेप,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

वार्षिक वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-25/2018/1333

दिनांक - 31-Oct-2

क्रमांक	विषय कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	67406	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	20,590,400.00 रुपये दो करोड पॉच लाख नब्बे हजार चार सौ
	State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA			
2	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	67407	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	13,094,800.00 रुपये एक करोड तीस लाख चौरानवे हजार आठ सौ
	State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA			
3	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	67408	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR	3,352,600.00 रुपये तैतीस लाख बायन हजार छः सौ
	State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA			

योग:

37,037,800.00

क्रमिक योग:

रुपये तीन करोड सत्तर लाख सैतीस हजार आठ सौ

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, DIVISION RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	67409	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	11,014,400.00 रुपये एक करोड दस लाख चौदह हजार चार सौ
	State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601101610103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme	67410	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH DIV.MED	20,177,500.00 रुपये दो करोड एक लाख सित्योत्तर हजार पाँच सौ
	State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme	67412	HZBFWL016 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O.WILD LIFE HZB	16,051,800.00 रुपये एक करोड साठ लाख इकावन हजार आठ सौ
	State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA			

योग:

47,243,700.00

क्रमिक योग:

रुपये आठ करोड बयालीस लाख इक्कससी हजार पाँच सौ

84,281,500.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF, D.D. (HAWA) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
7	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67414	DRNFWL049 KAMLESH PANDEY, IFS DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI	11,455,800.00 रुपये एक करोड चौदह लाख पचपन हजार आठ सौ
8	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67415	JSRFOR002 CHANDRA MAULI PRASAD SINHA DY.C.F.& F.D/PROJ.ELEPHANT JSR	1,925,000.00 रुपये उन्नीस लाख पच्चीस हजार
9	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67416	PLMFOR069 ANIL KUMAR MISHRA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED	3,860,800.00 रुपये अठतीस लाख साहठ हजार आठ सौ

योग:

17,241,600.00

क्रमिक योग:


रुपये दस करोड पंद्रह लाख तेइस हजार एक सौ

101,523,100.00

(SHRI SATYAN SINGH)

PCCF, D.D. (HAWKINS) RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवृत्ति राशि
10	S 19 240601101610323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : WILD LIFE CONSERVATION(0341) Central Scheme : NA	67418	PLMFOR068 MAHALING DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED	1,976,300.00 रुपये उन्नीस लाख छहत्तर हजार तीन सौ



योग:

1,976,300.00

क्रमिक योग:

रुपये दस करोड चौतीस लाख निम्नानवे हजार चार सौ

103,499,400.00

(SHRI SATNAM SINGH)

PCCF DEBARKHANNA (RANCHI)